through Combined Civil Services Examination for IAS and other Central Services;

(b) if so, the names of services where this provision of Senior Time Scale after completion of four years of service exists;

(c) whether it is a fact that some Central Services like Indian Trade Service do not have the provisions of Senior Time Scale;

(d) if so, whether Government have received representation from this Service; and

(e) if so, the action taken thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRIMATI MARGARET ALVA): (a) and (b) Most of the Organised Central Services provide for promotion to Senior Time Scale (Rs. 3000—4500) from Junior Time Scale (Rs. 2200—4000). The eligibility usually prescribed for this promotion is 4 years regular service in Junior Time Scale.

(c) The Indian Trade Service does have a provision for Senior Time Scale. However, this scale in the service is designated as Grade-II and officers in Grade-III (Rs. 2200—4000) with four years regular service are eligible for promotion to this scale.

(d) and (e) The Government have received representations from the Indian Trade Service regarding stagnation in Grade-III. A proposal for upgrading certain posts on the basic of functional justifications is under examination.

Independent Recruitment Board for the minorities

1607. SHRI MOHAMMED AFZAL alias MEEM AFZAL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the names of the Ministries/Departments which have set up independent Recruitment Boards/Selection committees for the purpose of selection and recruitment to various categories of posts;

(b) whether there is any norm laid down by Goevrnment or by the ministries itself for the appointment of a person belonging to the minority community on these boards/ selection committees;

(c) if so, which of these Recruitment Board/Selection Committee are represented by the minority community; and

(d) if the answer to part (b) above be in the regative, whether Government propose to consider the question of making it mandatory for the Ministries/Deptt. to appoint persons belonging to the Minority community on boards/selection committees, if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRIMATI MARGARET ALVA): (a) to (d) Recruitment to Group 'A' and 'B' posts is mostly done through UPSC and to Group 'C' through Staff Selection Commission. Wherever recruitment is done by Ministries/Departments for Group 'C' posts within their purview and for recruitment to Group 'D' posts, a Selection Committee is constituted. Where recruitment is on a large scale like in Railways, independent Recruitment Boards are set up. Instructions have already been issued to the effect that wherever a Selection Committee/Board exists or has to be constituted for making recruitment to 10 or more vacancies in Group 'C' or Group 'D' posts/services, it shall be mandatory to have one member belonging to the Scheduled Castes/Tribes and one member belonging to the minority community in such Committees/ Boards. The member from the SC/ST and minority community will be from within the overall sanctioned strength of the Selection Committee/Board

which is constituted with the departmental officers of appropriate status and background, keeping in view the nature of the post for which recruitment is to be made.

केन्द्रीय भण्डार से एस० टी० डी०/आई० एस० डी० कालें

1608. **श्री अजीत जोगी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय भण्डारों के सरकारी टेलीफोनों से बड़ी संख्या में लम्बी अवधि की आई०एस०डी० और एस०टी०डी० कालें की गई ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ;

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान केंद्रीय भण्डार के अधिकारियों को कौन-कौन सी अन्य सुविधायें प्रदान की गई थीं, जिनके लिए वे सामान्यतया हकदार नहीं होते ; और

(घ) केंद्रीय भण्डारों द्वारा अपनाए गए बचत उपायों का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती भारग्रेट आल्वा) : (क) से (घ) केंद्रीय भंडार को कोई सरकारी टेलीफोन नहीं दिया गया है । किन्तु, केंद्रीय भंडार के दिल्ली में अपने 12 आफिशल टेलीफोन कनेक्शन हैं जिनमें से तीन टेलीफोनों में एस०टी०डी० सुविधा है । केंद्रीय भंडार की दिल्ली से बाहर, मद्रास, बम्बई, हैदराबाद, बंगलोर, चण्डीगढ़ आदि स्थानों में भी शाखायें हैं तथा यह संगठन उन अन्य स्थानों में भी, जहां केंद्रीय सरकार के कार्यालय स्थित हैं अपनी शाखाओं का विस्तार करने की योजना बना रहा है । एस०टी०डी० सुविधा की अनिवार्यता इसलिए भी जरूरी है ताकि प्रबंधक न केवल ऐसे स्थानों पर तैनात अपने अधिकारियों के साथ ही बल्कि केंद्रीय भंडार से व्यापारिक संबंध रखने वाले सम्पूर्ण देश में फैली आपूर्तिकर्ता तथा उत्पादक फर्मों के साथ भी संपर्क रख सकें ।

भंडार के टेलीफोनों से उन स्थानों के लिए जो कि भंडार के कार्य क्षेत्र की परिधि में नहीं आते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय एस०टी०डी० कालें की गई थीं । इन आई०एस०डी० कालों को करने पर 4470-/ रुपए की राशि खर्च हुई । ऐसी 8 (आठ) टलीफोन कालें की गई थीं जिसमें एक काल वर्ष 1989-90 में की गई थीं और शेष सात बकाया कालें वर्ष 1990-91 में । वर्ष 1989-90 की काल के लिए संबंधित अधिकारी को इसका बिल अदा करने के लिए कहा गया है । जहां तक वर्ष 1990-91 में की गई सात कालों का संबंध है, यह पता चला है कि ये फोन केंद्रीय भंडार के अधिकारियों द्वारा नहीं किए गए थे । चूंकि यह महसूस किया गया था कि इस सुविधा का शायद बाहरी व्यक्तियों द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है अतः प्रबंधक, टेलीफोन निगम लि० से समिति को लाइनों का और आगे दुरुपयोग रोकने के लिए आवश्यक उपचारी कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया । एस०टी०डी० संबंधी कालों के बिलों के भुगतान की पद्धति को कड़ा बना दिया गया है ताकि ऐसे बिलों का भुगतान केवल तभी किया जाए जबकि महा प्रबंधक यह प्रमाणित कर दें कि ये फोन कार्यालय के काम के संबंध में किए गए थे ।